वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 12.01.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ", अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, ,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 12.01.2025

रक्षा संपदा की 160 एकड़ भूमि पर वीडीए से पास कराना होगा नक्शा

आयुक्त वाराणसी मंडल की बैठक में नियोजित विकास के लिए अहम फैसला

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने रक्षा संपदा की कैंटोमेंट एवं लक्षिपुरा स्थित उस 160 एकड़ जमीन पर नियोजित विकास के लिए बड़ा निर्णय लिया है। इसमें कहा है कि रक्षा संपदा की 160 एकड़ भूमि पर भी वीडीए से नक्शा पास कराना होगा।

नगर निगम को 1894 में हस्तांतरित 160 एकड़ भूमि के प्रबंधन को लेकर उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए बैठक हुई। इसमें आयुक्त वाराणसी मंडल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त और निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भूमि इंट्रा म्युनिसिपल नजूल श्रेणी में आती है और इसके प्रबंधन पर नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधान लागू होते हैं।

वीडीए की ओर से यह भी कहा गया है कि विधिक स्थिति और प्रबंधन के तहत स्थायी अधिवक्ता ने बैठक में स्पष्ट किया था कि यह भूमि वर्तमान में नगर निगम, वाराणसी के प्रबंधन में है। जब तक रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, इसे छावनी परिषद वाराणसी के स्वामित्व या प्रबंधन के तहत अधिसूचित नहीं करता, तब तक यह भूमि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगी। इसके तहत वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आदेश जारी किया है कि रक्षा संपदा की इस 160 एकड़ भूमि पर नगर निगम अधिनियम और नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधान लागू होंगे। मानचित्र स्वीकृत करने से पहले भू-स्वामी रक्षा मंत्रालय और नगर निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।

समिति ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम, वाराणसी और वाराणसी विकास प्राधिकरण के पास संबंधित भूमि पर सभी विधिक कार्रवाई करने का अधिकार है।

1894 में हस्तांतरित हुई थी भूमि

वीडीए ने जमा कराए 5,28,591 रुपये गृहकर

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से शहर में कई जगहों पर लगाए गए कैंप में लोगों से गृहकर का बकाया जमा करवाया गया। इसमें भेलूपुर जोन के अंतर्गत शिवम कॉम्पलेक्स, सूर्य अपार्टमेंट, डुमराव बाग कॉलोनी, प्रकाश कुंज अपार्टमेंट, ब्रिज एन्क्लेव कॉलोनी, शीश महल अपार्टमेंट, कैलाशपुरी सेवा आश्रम ,नंदलाल अपार्टमेंट सहित अन्य जगहों पर लगाए कैंप में 112 रसीदों के साथ गृहकर के रूप में 5,28591 रुपये जमा कराए। ब्यूरो

अवैध निर्माण, प्लॉटिंग करने पर दो के खिलाफ मुकदमा

वाराणसी। वीडीए ने अवैध निर्माण और प्लॉटिंग करने पर दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वीडीए के अभियंता आरके सिंह की तहरीर पर मारुति नगर कॉलोनी के गोविंद सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गोविंद सिंह पर सील तोड़कर भवन निर्माण करने का आरोप है। उधर, रोहनिया के गंगापुर निवासी विवेक सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर दशाश्वमेध वार्ड के बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग करने का आरोप है। संवाद

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 12.01.2025

रक्षा संपदा की भूमि का नक्शा पास करेगा वीडीए

- मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया निर्णय
- दिखाना होगा स्वामित्व
- अभी तक वीडीए रोकता था अवैध निर्माण, नक्शा पास करने को लेकर उठ चुके थे सवाल

जागरण संवाददाता, वाराणसी : रक्षा संपदा के 160 एकड़ जमीन पर अभी तक अवैध निर्माण को रोकने का काम कर रहा वाराणसी विकास प्राधिकरण अब नक्शा भी पास करेगा। यह निर्णय मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। भवन स्वामी को नक्शा पास कराने से पहले नगर निगम, जलकल और रक्षा संपदा से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। साथ वीडीए उनके प्रपत्रों को देखने के बाद ही निर्णय लेगा कि उक्त भवन पर नक्शा पास हो सकता है या नहीं। क्योंकि, रक्षा संपदा की जमीन कई लोगों ने निगम से आवंटित करा रखा है और उनमें से कई लोगों ने बेच भी दिया है। जमीन या भवन पर स्वामित्व नहीं रहने पर वीडीए नक्शा पास नहीं करेगा।

रक्षा संपदा की जमीन पर नक्शा पास करने या अवैध निर्माण रोकने को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। पूर्व के दो मंडलायुक्त ने यह कहते हुए आदेश जारी किया कि रक्षा संपदा की जमीन से वीडीए का कोई लेना-देना नहीं है। इसको लेकर पूर्व मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व के दोनों मंडलायुक्त के आदेश को निरस्त करते हुए अवैध निर्माण रोकने का अधिकार दिया गया। इसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि वीडीए नक्शा पास नहीं कर सकता है तो रोकने का अधिकार कैसे। वीडीए रक्षा संपदा की जमीन पर आबाद लोगों का उत्पीड़न कर रहा है। इसके साथ ही वीडीए को राजस्व क्षति पहुंच रहा था। इन तमाम सवालों को लेकर पिछले दिनों मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक वाराणसी विकास प्राधिकरण को रक्षा संपदा की कैंटोनमेंट एवं लक्षिपुरा स्थित 160 एकड़ जमीन पर नियोजित विकास के लिए निर्णय लिया है जो प्रबंधन के लिए नगर निगम के अधीन है। नगर निगम को 1894 में 160 एकड़ जमीन प्रबंधन के लिए हस्तांतरित हुई थी। यह भूमि इंट्रा म्युनिसिपल नजूल श्रेणी में आती है और इसके प्रबंधन पर नगर निगम अधिनियम; 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधान लागू होते हैं। नगर निगम के मुख्य राजस्व अधिकारी के 13 मार्च-2020 के अनुसार, भूमि के प्रबंधन और अतिक्रमण संबंधी विवादों का निस्तारण संबंधित अधिनियमों के तहत ही किया जाएगा। विधिक स्थिति और प्रबंधन के तहत स्थायी अधिवक्ता ने बैठक में स्पष्ट किया था कि यह भूमि वर्तमान में नगर निगम में है। जब तक रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, इसे छावनी परिषद, वाराणसी के स्वामित्व या प्रबंधन के तहत अधिसूचित नहीं करता, तब तक यह भूमि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि रक्षा संपदा के 160 एकड़ जमीन पर अब वीडीए नक्शा पास करेगा। शर्तें पूरी होने पर आदेश प्रभावी रहेगा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 12.01.2025

नगर निगम और विप्रा के नियंत्रण में हुई रक्षा संप्रदाय की १६० एकड़ भूमि-मंडलायुक्त

हटेंगे अतिक्रमण और जारी होगा मानचित्र, वर्षों से चल रहे विवाद का हुआ समापन

नगर निगम और वीडीए के पास लैंड बैंक की हो रही ट्रास्टी उस समय दुरुस्त हो गयी जब मंडुलायुक्त कौशल राज शर्मा ने रक्षा सम्पदा से जुड़ी कैण्टोंमेंट और लक्षीपुरा स्थित १६० एकड़ जमीन पर नगर निगम और विकास प्राधिकरण का नियंत्रण हो गया। संबंधित विषय में लगभग १८९४ में हस्तांतरित १६० एकड़ भुमि को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था जिसपर नियोजन विभाग ने निर्णय लेते हुए इसके उपयोग की जिम्मेदारी नगर निगम और विकास प्राधिकरण को दे दी। मंडलायुक्त और विप्रा अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिया कि इन निर्णयों में वाराणसी विकास प्राधिकरण और नगर निगम को निर्देश दिया जाता है कि अवैध निर्माण हटाने एवं अन्य कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। विकास प्राधिकरण के पास संबंधित भूमि पर विधिक अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और वह इसकी कारवाई करने के लिए भी स्वतंत्र है। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि विधिक प्राविधानों के आधार पर १६० एकड़ भूमि के प्रबंधन और अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम और विप्रा प्रभावी और कारवाई सुनिश्चित करेगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि १८९४ में जिस शर्तों पर भूमि का हस्तांतरित की गयी थी उसका उल्लेख १८९६ के पत्र में किया गया। यह भूमि इंट्रा म्युनिसिपल नजूल मानी जायेगी और म्युनिसिपल मैनुअल के प्रावधानों के तहत शामिल होगा। यह भी स्पष्ट है कि यह भूमि नगर निगम क्षेत्राधिकार में है। और नगर निगम अधिनियम १९५९ एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम १९७३ के अनुसार प्रबंध योग्य है। नगर निगम और विकास प्राधिकरण के पास अवैध निर्माणों को हटाने या नियंत्रित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह भूमि इंट्रा म्युनिसिपल नजूल श्रेणी में आता है और इसके प्रबंधन पर संबंधित अधिकार प्राप्त हैं। संबंधित विषय में शासन के पत्रांक के अनुसार भूमि प्रबंधन और अतिक्रमण संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए संबंधी विभागों को अधिकार प्राप्त है। मंडलायुक्त ने बताया कि नगर निगम वाराणसी के प्रबंध में यह जमीन का रक्षा मंत्रालय के तहत आती है और जब तक रक्षा मंत्रालय इसे छावनी परिषद् वाराणसी के स्वामित्व या प्रबंधन के कार्य में अनुसूचित नही करता तब तक यह भूमि नगर निगम अधिकार क्षेत्र में ही रहेगी। संबंधित विषय में विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने यह आदेश जारी किया और अब इस क्षेत्रों में अवैध निर्माणों पर अतिक्रमण के अलावा मानचित्र स्वीकृतियों पर विकास प्राधिकरण अपनी मोहर लगायेगा। मानचित्र स्वीकृत कराने से पहले भूस्वामी और रक्षा मंत्रालय, नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

हिन्दुस्तान–दि0 12.01.2025

वीडीए ने जारी किया आदेश, नगर निगम की एनओसी जरूरी

रक्षा संपदा पर भवनों का पास कराना होगा नक्शा

फैसला

160 एकड़ भूमि है कैंट स्टेशन और लक्षिपुरा क्षेत्र में

18 सौ 94 में रक्षा मंत्रालय ने नगर निगम को दी थी भूमि

- अवैध निर्माण पर रोक की कवायद, शमन शुल्क भी वसूलेंगे
- रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व मांगने तक नगर निगम के अधीन

वाराणसी, हिटी। कैंट स्टेशन और लक्षिपुरा में रक्षा मंत्रालय की जमीनों पर बने भवनों का नक्शा वीडीए से पास कराना होगा। इसके लिए रक्षा संपदा विभाग और नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। यह निर्णय मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने लिया है। वीडीए ने इस सम्बंध में शनिवार को नक्शा पास करने का आदेश जारी किया है।

आदेश के बाद से कैंट स्टेशन के सामने और लक्षिपुरा-नदेसर में स्थित जमीनों पर जहां अवैध निर्माण पर रोक लगेगी। वहीं पूर्व में निर्मित भवनों को वैध कराने के लिए शमन शुल्क जमा कराने का भी रास्ता साफ हो गया है। कैंटोन्मेंट एवं लक्षिपुरा स्थित 160 एकड़ जमीन को रक्षा मंत्रालय ने 1994 में नगर निगम को हस्तांतरित किया था। नगर निगम इन इलाकों में अस्थायी अतिक्रमण पर रोक लगा पाता था, लेकिन भवन निर्माण पर रोक नहीं लगने से अवैध निर्माण की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। यह भूमि 'इंट्रा म्युनिसिपल नजूल' श्रेणी में आती है।

गत वर्षों में विकास प्राधिकरण ने कैंट स्टेशन के सामने होटलों और भवनों पर निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्ती की तो होटल संचालक हाईकोर्ट चल गये थे। चूंकि इन जमीनों पर प्रबंधन की जिम्मेदारी तो तय थी, लेकिन नियोजन के अधिकार पर कोई स्पष्टता नहीं थी। इसलिए प्राधिकरण को हाथ पीछे खींचना पड़ा था।

छावनी परिषद के पास जाने तक वीडीए करेगा नियोजनः मंडलायुक्त ने विवाद के समाधान के लिए रक्षा मंत्रालय, स्टेट काउंसिल और सम्बंधित विभागों के अधिकारियों की एक समिति बनाई। इसमें अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि भूमि वर्तमान में नगर निगम के प्रबंधन में है। जब तक रक्षा मंत्रालय इसे छावनी परिषद को स्वामित्व या प्रबंधन के लिए अधिसूचित नहीं करता, तब तक यह भूमि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में रहेगी।

समिति ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम और वीडीए के पास भूमि पर सभी विधिक कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके आधार पर वीडीए उपाध्यक्ष ने 160 एकड़ भूमि के प्रबंधन और अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम और वीडीए कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 12.01.2025

अवैध प्लॉटिंग करने में कॉलोनाइजर पर केस

रोहनिया। वीडीए ने शनिवार को गंगापुर निवासी कॉलोनाइजर विवेक सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कॉलोनाइजर दरेखू गांव में अवैध प्लॉटिंग करा रहा था। वीडीए के अफसरों को जानकारी मिली कि दरेखू गांव में विवेक सिंह बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग करा रहे थे। इस पर पुलिस को सूचना दी गई।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 12.01.2025

आयुक्त वाराणसी मंडल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यवृत्त और निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश

वाराणसी । विकास प्राधिकरण ने रक्षा सम्पदा की कैंटोनमेंट एवं लक्षिपुरा स्थित उस 160 एकड़ जमीन पर नियोजित विकास के लिए बड़ा निर्णय लिया है जो प्रबंधन के लिए नगर निगम के अधीन है। नगर निगम को 1894 में हस्तांतरित 160 एकड़ भूमि के प्रबंधन को लेकर उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए आयुक्त, वाराणसी मंडल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त और निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भूमि इंट्रा म्युनिसिपल नजूल श्रेणी में आती है और इसके प्रबंधन पर नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधान लागू होते हैं। नगर निगम के मुख्य राजस्व अधिकारी के पत्रांक-5917/सात-भू0सु0-2020 दिनांक 13 मार्च, 2020 के अनुसार, भूमि के प्रबंधन और अतिक्रमण संबंधी विवादों का निस्तारण संबंधित अधिनियमों के तहत ही किया जाएगा।स्थायी अधिवक्ता ने बैठक में स्पष्ट किया था कि यह भूमि वर्तमान में नगर निगम, वाराणसी के प्रबंधन में है। जब तक रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, इसे छावनी परिषद, वाराणसी के स्वामित्व या प्रबंधन के तहत अधिसूचित नहीं करता, तब तक यह भूमि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगी। इसके तहत वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग ने आदेश जारी किया है कि रक्षा सम्पदा की इस 160 एकड़ भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण, अतिक्रमण, या मानचित्र स्वीकृतियों पर नगर निगम अधिनियम और नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधान लागू होंगे। मानचित्र स्वीकृत करने से पहले भू-स्वामी रक्षा मंत्रालय और नगर निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।आयुक्त वाराणसी मंडल की अध्यक्षता में लिए गए निर्णयों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण और नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं। इन निर्णयों में अवैध निर्माण हटाने और प्रबंधन संबंधी अन्य कदम उठाने की पूरी स्वायत्तता दी गई है। समिति ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम, वाराणसी और वाराणसी विकास प्राधिकरण के पास संबंधित भूमि पर सभी विधिक कार्रवाई करने का अधिकार है। इन निर्देशों को लागू करने के लिए उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। बैठक के निर्णय और विधिक प्रावधानों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि 160 एकड़ भूमि के प्रबंधन और अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम और वाराणसी विकास प्राधिकरण प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। समिति ने इस दिशा में सख्त अनुपालन के आदेश जारी किए हैं।1894 में जिन शर्तों पर भूमि हस्तांतरित की गई थी, उसका उल्लेख 1898 में जारी पत्रांक-6170 में किया गया है। यह भूमि इंट्रा म्युनिसिपल नजूल मानी जाएगी और म्युनिसिपल मैनुअल के प्रावधानों के तहत शासित होगी। यह भी पुष्टि हुई कि यह भूमि नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्राधिकार में है और नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार प्रबंधन योग्य है।